न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत रसीदपुरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/198 दायरा दिनांक 26.10.2015

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. पतासीदेवी पत्नि नाथूराम जाति मेघवाल उम्र 72 वर्ष निवासी :– निमोद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नन्दकुमार पुत्र नाथूराम 2. श्रवणकुमार पुत्र नाथूराम 3. सांवरमल पुत्र नाथूराम 4. पन्ना पुत्र मंगला 5. जगदीश पुत्र धन्नाराम 6. छितरमल पुत्र धन्नाराम 7. प्रकाश पुत्र धन्नाराम 8. चन्दा पत्नि धन्नाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी :– निमोद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. वादीनी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की माता है अर्थात स्वर्गीय नाथूराम की पत्नि है, तथा वादीनी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है।

खेत ख. न. 318 रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद निमोद स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

उक्त खेत पैतृक है, तथा उक्त खेत की खातेदारी पहले मंगलाराम के नाम से थी जिसके स्वर्गवास के बाद उसके तीन पुत्रो पन्ना, धन्नाराम, व नाथूराम, के नाम से दर्ज हो गई तथा वर्ष 1984 में नाथूराम की मृत्यु हो जाने पर उसकी जगह उसके जायन्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 अकेलो के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई जबकि नाथूराम के स्वर्गवास के बाद उसके जायन्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के साथ स्वर्गीय नाथूराम की पत्नि पतासीदेवी की भी खातेदारी अपने पुत्रो के साथ दर्ज होनी चाहिए थी।लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने सहव से अकेले

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Certified
Scanned by CamScanner

तीनों के नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली। जिसकी जानकारी हाल में वादीनी द्वारा दिनाकं 05.10.2015 को पटवारी हल्का के पास जाने से हुई हैं। तथा धन्नाराम की मृत्यु के बाद उसकी जगह प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 की खातेदारी दर्ज हो गई, जिसका उल्लेख भी राजस्व रेकर्ड में है।उक्त खेत में से नाथूराम के हिस्से में 1/3 हिस्सा अर्थात 25 बीघा 18 बिस्वा जमीन बन्ट में आई थी।जिस पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है।

वादीनी उक्त खेत की खातेदारी में अपने तीनो पुत्रों प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के साथ अपने नाम की घोषणा राजस्व रेकर्ड में करवाने की कानूनन हकदार है।उक्त खेत ख. न. 318 रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा मे से 1/3 हिस्से का हकदार प्रतिवादी पन्ना, 1/3 हिस्से का हकदार स्व. धन्नाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 व 1/3 हिस्से का हकदार स्व. नाथूराम के वारिसान वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 है।अतः वादीनी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

वादीनी की कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण को दखल करने का कोई हक अधिकार नही है।यदि प्रतिवादीगण ने वादीनी की खातेदारी हक हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार का दखल कर दिया तो उसे अजहद नुक्शान होगा। जिसकी पूर्ति नगदी से नही हो सकेगी। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खिलाफ स्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने की जायज अधिकारी है। अतः वादीनी को दावा बाबत स्थाई निषेघाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि

घोषणा की जावे कि खेत ख. न. 318 रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद निमोद में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के साथ वादीनी भी खातेदार है।तथा माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।

वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादीनी की खातेदारी कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

वदीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 16.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 05 स्वयं उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 व 06 ता 08 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 व 06 ता 08 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादीनी कोंट केम्प ग्राम पंचायत रसीदपुरा में उपस्थित हुय और दावा डिग्री किये जाने का निवेदन किया।वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम में की गई।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि खेत ख. न. 318 रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद निमोद में से 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के साथ वादीनी को सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **10.06.2017** को कोर्ट कैम्प रसीदपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2015/198** दायरा दिनांक **26.10.2015**

वादीनी		प्रतिवादीगण
1 पतासीदेवी पत्नि नाथूराम जाति मेघवाल उम्र 72 वर्ष निवासी :— निमोद तहसील— डीडवाना,जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नन्दकुमार पुत्र नाथूराम 2. श्रवणकुमार पुत्र नाथूराम 3. सांवरमल पुत्र नाथूराम 4. पन्ना पुत्र मंगला 5. जगदीश पुत्र धन्नाराम 6. छितरमल पुत्र धन्नाराम 7. प्रकाश पुत्र धन्नाराम 8. चन्दा पत्नि धन्नाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी :— निमोद तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
दिनांक **10.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि खेत ख. न. 318 रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद निमोद में से 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के साथ वादीनी को सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत................... ..—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **10.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय					

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मनामा फर्रिक			फर्रिक		
जान			जान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner